आर एस मोंगिया, सत पाल और एस एस सुधालकर, जे. जे. के सामने

लाल चंद, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ,-उत्तरदाता

1995 का सी. डब्ल्यू. पी. 1160

28मई, 1998

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226,227,243-0,243-जेडजी और 368-पंचायतों/नगर पालिकाओं के लिए चुनाव-न्यायिक समीक्षा-मूल संरचना-बार, अनुच्छेद 243-0 में निहित, 243-जेडजी कला के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है, 226/227-अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" को चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बाहर नहीं करने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है जिससे न तो छेड़छाड़ की जा सकती है और न ही इसका क्षरण किया जा सकता है। हमारी राय है कि "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों का अर्थ इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन"। अनुच्छेद 243-0 के इस खंड (ख) और अनुच्छेद 243-जेडजी के खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ इस प्रकार पढ़ा जाएगा "किसी भी पंचायत/नगरपालिका के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस निर्वाचन याचिका के जो ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई हो और ऐसी रीति से जो विधानमंडल द्वारा किसी राज्य को बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध की गई हो, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगा।

(पैरा 24)

इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 और 243-ZG के तहत लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, पंचायत/नगर पालिका के चुनाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है अन्यथा अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होंगे (i.e. उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा) हालांकि, उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध उपचार के लिए खारिज कर सकता है।

(पैरा 27)

याचिकाकर्ताओं की ओर *से अधिवक्ता रवि सोधी*

एस. पी. सिंह, अधिवक्ता
गुलशन शर्मा, अधिवक्ता
एम. एम. कुमार, अधिवक्ता
के. एस. अहलूवालिया, एडिशनल ए. जी. पंजाब

प्रतिवादी की ओर *से अधिवक्ता अनिल राठी ने कहा।*

निर्णय

सत पाल जे,

(1) यह निर्णय सीडब्ल्यूपी संख्या 1995 की संख्या 1160,1995 की संख्या 1177,1995 की संख्या 1185,1995 की संख्या 1186,1995 की संख्या 1193,1994 की संख्या 1772,1997 की संख्या 177390,1997 की संख्या 17420,1997 की संख्या 17816,1997 की संख्या 17888,1997 की संख्या 1731,1997 की संख्या 1793,1997 की संख्या 17950,1997 की संख्या 1797 की संख्या 1797 की संख्या 1799 और 1997 की संख्या 18003 में भी पढ़ा जा सकता है।

(2) रिट याचिका संख्या 1995 की 1160,1995 की 1177,1995 की 1185 और 1995 की 1193 में चुनौती हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायत के सदस्य के चुनाव के लिए है जो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत हरियाणा पंचायती राज नियम 1994 के साथ पढ़ा गया था

(जिसे क्रमशः हरियाणा अधिनियम और हरियाणा नियम के रूप में संदर्भित किया गया है। 1994 का सी. डब्ल्यू. पी. नं. 17772 पंजाब राज्य में ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित है जो पंजाब पंचायती राज अधिनियम के साथ पंजाब पंचायती नियम और पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के प्रावधानों (जिसे इसके बाद क्रमशः पंजाब अधिनियम, पंजाब नियम और चुनाव आयोग अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत आयोजित किया गया था। 1995 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1186 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम और उसमें बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हरियाणा में एक नगरपालिका समिति के चुनावों से संबंधित है।

(3) इन सभी रिट याचिकाओं में प्रतिवादी की ओर से दायर लिखित बयान में, एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 और अनुच्छेद 243-ZG द्वारा बनाए गए चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक को देखते हुए ग्राम पंचायत या नगर समिति के चुनावों को चुनौती देने के लिए कोई रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है।उपरोक्त लेख निम्नानुसार हैंः—

> "243-0.चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।—इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता, जो अनुच्छेद 243 के के तहत बनाई गई या बनाई जानी है, पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।
>
> (b) किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाती है।"
>
> 243-जेडजी. चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।—इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद, -
>
> (a) अनुच्छेद 243 जेड. ए. के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(b) किसी भी नगरपालिका के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाती है और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाती है।"

(4) लिखित बयान में यह भी अनुरोध किया गया था कि जहां तक राज्य में ग्राम पंचायत के किसी भी चुनाव का संबंध है, चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों को देखते हुए चुनाव याचिका के अलावा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 75 में आगे कहा गया है कि केवल अधिकार क्षेत्र वाले चुनाव न्यायाधिकरण को ही चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति थी। उक्त अधिनियम की धारा 89 चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करती है।

(5) उपर्युक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 1995 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1160 में याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 के अधिकारों को चुनौती देने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन दायर किया। यह भी तर्क दिया गया कि हरियाणा अधिनियम में केवल दो आधारों का उल्लेख किया गया है, जिन पर लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है और ये आधार थे, लौटे उम्मीदवार द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथाएं और वोटों की गलत गिनती। यह भी तर्क दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए संविधान या किसी भी अधिनियम के तहत कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक समीक्षा हमारे संविधान की मूल संरचना और हमारी संवैधानिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यहां तक कि संविधान में भी संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने या उसे नष्ट करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संविधान के मूल ढांचे यानी न्यायिक समीक्षा के साथ क्षरण और छेड़छाड़ करते हैं।

(6) पक्षकारों के वकीलों, डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों को सुनने के बाद यह विचार आया कि इस रिट याचिका के मुद्दे महत्वपूर्ण महत्व के हैं और बार-बार उत्पन्न होने की संभावना है और इन्हें किसी न किसी तरह से आधिकारिक रूप से निपटाने की आवश्यकता है। नतीजतन, उपर्युक्त रिट

याचिकाओं को निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए एक पूर्ण पीठ को भेजा गया थाः

(1) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी इस आधार पर अधिकार से बाहर हैं कि ये भारत के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हैं क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के उच्च न्यायालय की अधिकारिता को ग्राम पंचायतों/जिला परिषदों/नगर समितियों के चुनाव विवादों के संबंध में हटा दिया गया है?

(2) हरियाणा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत किस आधार पर ग्राम पंचायत/जिला परिषद में लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है?

7. 1997 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 17352,17390,17420,17816,17,888,17931,17932,17950,17971,1797 6,1799 और 18003 में चुनौती इस आधार पर थी कि यह पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में है। पहली आपत्ति यह थी कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए इस अदालत को उक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे समाप्त करने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरी आपत्ति यह थी कि संविधान के अनुच्छेद 243-0 में निहित संविधान के संदर्भ में, यह न्यायालय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता की जांच नहीं कर सकता है और न ही यह चुनावी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये रिट याचिकाएं 24 दिसंबर, 1997 को एन. के. सोधी और एस. सी. माल्टे, जे. जे. की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं। विद्वत न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि पहली आपत्ति कायम नहीं रह सकी क्योंकि राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एसओ 119/पीए 9/94/एच 209/- 97, दिनांक 5 सितंबर, 1997 द्वारा राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया था और राज्य में चुनाव कराने की पूर्व अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया था।

(8) दूसरी आपत्ति के संबंध में यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से दी गई चुनौती अनुच्छेद 243-0 के प्रावधानों के अंतर्गत आती प्रतीत होती है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह भी कहा गया

कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि संविधान का अनुच्छेद 243-0 मूल ढांचे का उल्लंघन करता है क्योंकि यह इस अदालत से न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लेता है जो अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसके पास है। यह भी देखा गया कि चूंकि लाई चंद के मामले में अनुच्छेद 243-0 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और यह निर्णय लंबित है, इसलिए हमने लाई चंद के मामले के साथ इन मामलों को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस तरह यह मुद्दा हमारे ध्यान में आया है।

(9) हम पहले प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि दूसरे प्रश्न का उत्तर श्रीमती अंजू बनाम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग, पिहोवा) सीडब्ल्यूपी संख्या 15310 के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पहले ही दिया जा चुका था। इस मामले में पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 176 में विनिर्दिष्ट आधारों के अलावा किसी भी आधार पर वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जिन आधारों पर चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, वे हैं -

(a) कि वापस लौटे उम्मीदवार ने उप-धारा (5) के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण किया;

(b) कि गिनती के दौरान कुछ अनियमितताएं या अवैधताएं की गईं, जिस याचिका पर अदालत वोटों की जांच और फिर से गिनती का आदेश दे सकती है और उस उम्मीदवार को विधिवत निर्वाचित घोषित कर सकती है जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैध वोट पाए गए हैं।

(10) 1995 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1160 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील श्री रवि सोढी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत राज्य को राजनीतिक न्याय प्राप्त करने की आवश्यकता है और यदि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति समाप्त हो जाती है तो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने के लिए संविधान में भी संशोधन नहीं किया जा सकता है और अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, मिनर्वा मिल्स

लिमिटेड बनाम भारत संघ और एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 के साथ संविधान के अनुच्छेद 329 की तुलना करते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त दो अनुच्छेदों के बीच समानता केवल रूप की थी और सामग्री की नहीं थी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 329 चुनाव याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए संसद और चुनाव न्यायाधिकरण के चुनावों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 243-0 पंचायत के चुनावों से संबंधित है और पंचायत के चुनावों के संबंध में, सिविल कोर्ट न्यायाधिकरण है। इसलिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि संसद के चुनाव के लिए प्रदान किया गया न्यायाधिकरण पंचायतों के चुनाव के लिए प्रदान किए गए न्यायाधिकरण की तुलना में उच्च शक्ति वाला था।

(11) विद्वत वकील ने आगे कहा कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अनुच्छेद 243-0 अधिकार के भीतर था, तो अनुच्छेद 243-0 का अर्थ यह है कि न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का प्रतिबंध न्यायालयों का सामान्य अधिकार क्षेत्र है, न कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय या संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का असाधारण अधिकार क्षेत्र। इस संबंध में, विद्वान वकील ने एस फखरुद्दीन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य मामलों में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यह अभिनिर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा कि अनुच्छेद 243-0 असंवैधानिक था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या संविधान के अनुच्छेद 243-के के अधीन बनाए गए या कथित निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आबंटन सहित चुनावों से संबंधित किसी विधि की वैधता की जांच करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को छीन लेता है।

(12) कुछ रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील एसपी सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 243-0 (ए) के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है और "किसी भी अदालत" का मतलब है और इसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय शामिल हैं। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि उक्त अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे

के विपरीत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधिकार क्षेत्र को हटाने के लिए संविधान या किसी अधिनियम के तहत कोई पूर्ण बाधा नहीं हो सकती है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 243-ओ के उपखंड (बी) के तहत किसी भी पंचायत के लिए किसी भी चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के द्वारा और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हरियाणा अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंचायत के चुनाव को अधिनियम की धारा 176 में उल्लिखित दो आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 243-0 का खंड (बी) भी अधिकार से बाहर है।

(13) कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील गुलशन शर्मा ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-0 के उपखंड (ए) के तहत भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका इस आधार पर विचारणीय है कि परिसीमन से पहले कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई थी और न ही कोई सुनवाई की गई थी। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने यूपी राज्य बनाम प्रधान संध समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया।

(14) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री एम. एम. कुमार ने श्री सोधी द्वारा की गई दलीलों को दोहराते हुए कहा कि एन. पी. पोनौसवानी बनाम निर्वाचन अधिकारी, नामक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य के मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस प्रश्न का निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की क्या शक्तियां हो सकती हैं, इसका उत्तर नहीं दिया गया।

(15) पंजाब राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अहलूवालिया ने उचित रूप से स्वीकार किया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संसद के किसी अधिनियम द्वारा या भारत के संविधान में संशोधन करके भी नहीं खोया जा सकता है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कोई अवैधता या प्रक्रियात्मक अनियमितता हो, उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चुनाव पर विवाद

करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं था, बल्कि क़ानून द्वारा बनाया गया था और इस तरह यह वैधानिक सीमाओं के अधीन था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह एक वैधानिक कार्यवाही थी जिस पर न तो सामान्य कानून लागू होगा और न ही समानता के सिद्धांत। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि चुनाव को चुनौती देने की प्रक्रिया का प्रावधान पीड़ित व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए उसे कानून में दिए गए उपाय का लाभ उठाना होगा और पहली बार में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकता है। अपने निवेदन के समर्थन में, विद्वान वकील ने जॉयती बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल आदि मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया। हरियाणा राज्य की ओर से पेश हुए श्री राठी विद्वान वकील ने श्री अहलूवालिया द्वारा की गई दलीलों को दोहराया।

(16) हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-0 और अनुच्छेद 243-जेडजी एक ही मापदंडों में हैं, सिवाय इसके कि अनुच्छेद 243-0 पंचायत चुनावों के संबंध में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार बनाता है, जबकि अनुच्छेद 243-जेडजी नगर पालिकाओं के चुनावों के संबंध में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप के लिए बार बनाता है।

(17) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के उपखंड (ए) के संबंध में प्रश्न उत्तर प्रदेश बनाम प्रधान संघ क्षेत्र समिति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न तो पंचायत क्षेत्र के परिसीमन और न ही उक्त क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन को चुनौती दी जा सकती है और न ही न्यायालय इस आधार के अलावा ऐसी चुनौती पर विचार कर सकता है कि परिसीमन से पहले कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई थी और न ही कोई सुनवाई की गई थी। यह भी देखा गया कि चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी इस चुनौती पर विचार नहीं किया जा सका। इस निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

> "उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 243-0 का खंड (ए) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या अनुच्छेद 243-के के तहत बनाए गए या कथित

रूप से किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन और किसी भी पंचायत के चुनाव से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर सवाल उठाने सहित चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, उच्च न्यायालय ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की वैधता के सवाल पर गौर किया है और उन्हें सीटों का आवंटन भी किया है। हम इस संबंध में मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग (1967) एस. सी. आर. 400 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। (AIR 1967 SC 669). उस मामले में, परिसीमन आयोग की एक अधिसूचना जिसके तहत एक शहर जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था, को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसे इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि याचिकाकर्ता को उक्त निर्वाचन क्षेत्र से संसद का उम्मीदवार बनने का अधिकार था जिसे छीन लिया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 327 के अधीन बनाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आबंटन से संबंधित एक विधि थी और परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 8 और 9 की जांच से पता चला है कि उसमें विचार किए गए मामले किसी भी न्यायालय की जांच के अधीन नहीं थे। इस तरह के प्रावधान के लिए एक बहुत अच्छा कारण था क्योंकि यदि धारा 8 और 9 के तहत दिए गए आदेशों को अंतिम माना जाता है, तो परिणाम यह होगा कि कोई भी मतदाता, यदि वह चाहता है, तो न्यायालय से न्यायालय तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर सवाल उठाकर अनिश्चित काल के लिए चुनाव करा सकता है। हालांकि परिसीमन आयोग अधिनियम की धारा 8 या 9 के तहत एक आदेश और उस अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत प्रकाशित संसद के एक अधिनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव समान है। उस अधिनियम की धारा 10 (4) इस तरह के आदेश को संसद द्वारा बनाए गए कानून के समान स्थिति में रखती है जो केवल अनुच्छेद 327 के तहत उसके द्वारा बनाया जाता है। यदि हम परिसीमन अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 327 और धारा 2 (के के) के स्थान पर अनुच्छेद 243-सी, 243-के और 243-0 को पढ़ते हैं, तो यह

स्पष्ट होगा कि न तो पंचायत क्षेत्र के परिसीमन और न ही उक्त क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों को सीटों के आवंटन को चुनौती दी जा सकती थी या न्यायालय इस आधार के अलावा ऐसी चुनौती पर विचार कर सकता था कि परिसीमन से पहले कोई आपत्ति आमंत्रित नहीं की गई थी और न ही कोई सुनवाई की गई थी। चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने के बाद भी इस चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने न केवल चुनौती पर विचार किया, बल्कि कथित शिकायतों के गुण-दोष पर भी गौर किया, हालांकि चुनौती 31 अगस्त, 1994 को चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद दी गई थी।"

(18) इस प्रकार, अनुच्छेद 243-0 के उपखंड (बी) के संबंध में प्रश्न का उत्तर शीर्ष न्यायालय द्वारा पहले ही ऊपर उल्लिखित शर्तों में दिया जा चुका है और इसके लिए आगे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है।चूँकि अनुच्छेद 243-जेड. जी. का उपखंड (ए) अनुच्छेद 243-0 के समान है, इसलिए अनुच्छेद 243-जेड. जी. के उपखंड (ए) के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी उपरोक्त निर्णय द्वारा दिया जाता है।

(19) अनुच्छेद 243-0 के खंड (बी) और अनुच्छेद 243-जेड. जी. के खंड (बी) पर विचार करने से पहले, संविधान के इन प्रावधानों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार हैं:—

"243-0.चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक-इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद -

(a) XXXXXXXXX

(b) किसी भी पंचायत के लिए कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे प्राधिकरण को और ऐसे में प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका द्वारा।जिस तरह से किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके तहत प्रावधान किया गया है।"

"243-जेडजी। चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक-इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद -

(a) XXXXXXXXX

(b) किसी भी नगर पालिका के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस प्राधिकरण को एक चुनाव याचिका के माध्यम से और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है।

(20) अनुच्छेद 243-0 के उपखंड (ख) और अनुच्छेद 243-जेडजी के उपखंड (ख) को पढ़ने से यह पता चलता है कि किसी भी पंचायत या नगर पालिका के लिए चुनाव को ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा और उस तरीके से प्रश्न में नहीं बुलाया जा सकता है जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है। चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 के तहत, पंजाब में चुनाव न्यायाधिकरण में राज्य सरकार का एक आई. ए. एस., या पी. सी. एस. या प्रथम श्रेणी का अधिकारी शामिल होता है। हरियाणा अधिनियम की धारा 176 के अधीन, निर्वाचन अधिकरण उस क्षेत्र में साधारण अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय है जहां चुनाव आयोजित किया गया है और हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 77 के अधीन निर्वाचन अधिकरण में राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो जिला न्यायाधीश के रूप में राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों। तैयार संदर्भ के लिए, उपर्युक्त प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) राज्य सरकार द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से प्रत्येक जिले या उसके हिस्से के लिए जिला या उप-मंडल मुख्यालय में एक चुनाव न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के एक आई. ए. एस. या पी. सी. एस. या प्रथम श्रेणी के अधिकारी को चुनाव न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जिनके पास पर्याप्त प्रशासनिक, कानूनी या मजिस्ट्रेट का अनुभव होगा।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम का S.176।

176. (1) न्यायाधीश और प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण –यदि ग्राम पंचायत समिति या जिला परिषद या उप-पंच

के सदस्य के किसी भी चुनाव की वैधता है, तो ग्राम पंचायत के सरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।पंचायत समिति या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को क्रमशः चुनाव लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रश्न में लाया जाता है, जिससे ऐसा प्रश्न संबंधित होता है, ऐसा व्यक्ति चुनाव के परिणामों की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर किसी भी समय सिविल कोर्ट में एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें ऐसे प्रश्नों के निर्धारण के लिए उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है जहां चुनाव हुआ है या होना चाहिए था।"

XXX XXXXX XXXX "

हरियाणा निगम चुनाव नियम 1994 का नियम 77।

"77. न्यायाधिकरण की नियुक्ति।—(1) सरकार इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार जांच करने के लिए एक न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी।

(2) मानव न्यायाधिकरण के मामले में नियुक्ति निम्नलिखित में से की जाएगीः

(a) राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश; या

(b) ऐसे व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के रूप में राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हों।

(3) बहु-सदस्य न्यायाधिकरण के मामले में उप-नियम में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी में से कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, (2) और न्यायाधिकरण के शेष सदस्यों की नियुक्ति अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत विधिवत नामांकित अधिवक्ताओं में से की जा सकती है, जिन्होंने न्यूनतम दस साल की अवधि के लिए राज्य उच्च न्यायालय के वकील के रूप में कार्य किया हो।उपनियम (2) के तहत नियुक्त सदस्य को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नामित किया जाएगा।

XXX XXXXXXXX "

(21) इसलिए, पंजाब और हरियाणा राज्यों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चुनाव पर विवाद करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही एक सामान्य अधिकार है और चूंकि यह

अधिकार क़ानून के तहत बनाया गया है, इसलिए एक व्यक्ति चुनाव को केवल चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष भी नहीं। अनुच्छेद 243-0 और अनुच्छेद 243-जेडजी से यह देखा जाएगा कि इन अनुच्छेदों में, "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" एक गैर-अस्थाई खंड है। राज्य के विद्वत वकील ने, इसलिए, यह तर्क दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के होते हुए भी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी के खंड (ख) के अधीन अधिरोपित अवरोधक को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका पर विचार करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़ित व्यक्ति को क़ानून में दिए गए उपचार का लाभ उठाना होगा और वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पहली बार में उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है।

(22) हालाँकि, हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।इस संबंध में, केशवानंद भारती (उपरोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।इस *मामले में* 6 के खिलाफ 7 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के मूल ढांचे या ढांचे में बदलाव करने में सक्षम नहीं बनाता है।बहुमत ने यह भी राय दी कि संविधान की मूल संरचना को किसी भी संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है और यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि मूल विशेषताओं में से एक न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक प्रणाली का अस्तित्व है।मिनर्वा मिल्स (ऊपर) के मामले में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इस विचार का पालन किया।

(23) एल चंद्र कुमार के मामले में, उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता को अपदस्थ नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां प्रस्तुत किया गया हैः -

> " अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालयों को और संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता हमारे संविधान के अलंघनीय मूल ढांचे का भाग है। जबकि इस अधिकारिता को अपदस्थ नहीं किया जा सकता है, अन्य न्यायालय

और अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323ए और अनुच्छेद 323बी के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। हालाँकि, इन अधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिकरण आता है। फिर भी न्यायाधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार के न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है।"

(24) चूँकि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, जिससे न तो छेड़छाड़ की जा सकती है और न ही इसका क्षरण किया जा सकता है, हमारी राय है कि "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" शब्दों का अर्थ इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए कि "संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी"। अनुच्छेद 243-0 के खंड (ख) और अनुच्छेद 243-जेडजी के खंड (ख) को ध्यान में रखते हुए इसका अर्थ इस प्रकार पढ़ा जाएगा "किसी भी पंचायत/नगर पालिका के लिए कोई भी चुनाव ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा और उस तरीके से नहीं बुलाया जाएगा जो विधायिका द्वारा किसी राज्य को बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगा।

(25) यह सत्य है कि एल. चन्द्र कुमार के निर्णय के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 323क और अनुच्छेद 323ख के अधीन सृजित अधिकरण विधि के उन क्षेत्रों के संबंध में प्रथम दृष्टांत न्यायालयों के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं जिनके लिए उनका गठन किया गया है। परन्तु हमें स्वयं एल. चन्द्र कुमार में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखना होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 323क और अनुच्छेद 323ख के अधीन सृजित अधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में अनुपूरक भूमिका निभाते हैं और इन अधिकरणों के पास वैधानिक

उपबंधों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। लेकिन हरियाणा अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण सिविल न्यायालय हैं जिनके पास उस क्षेत्र में सामान्य अधिकार क्षेत्र है जिसमें चुनाव हुए हैं। हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 की धारा 77 के अधीन अधिकरण में राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित प्रथम श्रेणी के अधीनस्थ न्यायाधीश या ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो जिला न्यायाधीश के रूप में राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और निर्वाचन आयोग अधिनियम की धारा 73 के अधीन अधिकरण में राज्य सरकार के लिए एक आई. ए. एस., पी. सी. एस. या प्रथम श्रेणी का अधिकारी शामिल है जिसे पर्याप्त प्रशासनिक, विधिक या मजिस्ट्रेट अनुभव है और इन अधिकरणों की तुलना संविधान के अनुच्छेद 323क और अनुच्छेद 323ख के अधीन सृजित अधिकरणों से नहीं की जा सकती क्योंकि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका नहीं निभा सकते हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी के खंड (ख) के अधीन अधिरोपित अवरोधक को ध्यान में रखते हुए किसी पंचायत/नगरपालिका के निर्वाचन को चुनौती देने के संबंध में रिट याचिका पर विचार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन कोई अधिकारिता नहीं है।

(26) हम राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि एन पी पुन्नू स्वैनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर पंचायत/नगर पालिका के चुनाव को चुनौती देने के लिए रिट याचिका विचारणीय नहीं थी। इस संबंध में, हम उक्त निर्णय के पैरा 19 का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह कहा गया था कि यह प्रश्न कि संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालय की और अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियां हो सकती हैं, वह ऐसी है जिसका निर्णय उचित अवसर पर करना होगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्चतम न्यायालय ने अब कई निर्णयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिक पुनरीक्षण की संवैधानिक प्रणाली का अस्तित्व मूल विशेषताओं में से एक है और यहां तक कि संविधान का अनुच्छेद 368 भी संसद को संविधान के प्रारूप कार्य की मूल विशेषता को बदलने में सक्षम नहीं करता है।

(27) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि भारत के

संविधान के अनुच्छेद 243-0 और 243-जेडजी के तहत लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, पंचायत/नगर पालिका के चुनाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है अन्यथा अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होंगे (यानी उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा)। हालाँकि, उच्च न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष उपलब्ध उपचार के लिए खारिज कर सकता है।

(28) संक्षेप में, पूर्ण पीठ को भेजे गए प्रश्नों के हमारे उत्तर इस प्रकार हैः

1. *संविधान के अनुच्छेद 243-0 के खंड (ए) और खंड (ए) अनुच्छेद 243-जेडजी के संबंध में प्रश्न का उत्तर प्रधान संघ क्षेत्र समिति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में दिया गया है (supra).*

2. संविधान के अनुच्छेद 243-0 के खंड (बी) और अनुच्छेद 243-ZG के खंड (बी) के संबंध में, हमारा मानना है कि उपरोक्त दो अनुच्छेदों में दिखाई देने वाले "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन "इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद" के रूप में पढ़ा जाएगा।तदनुसार, अनुच्छेद 243-0 के खंड (बी) और अनुच्छेद 243-जेडजी के खंड (बी) का अर्थ निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

> "किसी भी पंचायत/नगर पालिका के लिए कोई भी चुनाव प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई हो और उस तरीके से जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसमें उपबंधित है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगा।

3. ग्राम पंचायत/जिला परिषद के लिए चुने गए उम्मीदवार के चुनाव को हरियाणा अधिनियम और हरियाणा नियमों के तहत किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है, इससे संबंधित दूसरे प्रश्न का उत्तर श्रीमती अंजू बनाम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग, पिहोवा, सीडब्ल्यूपी

संख्या 15310,1996 के मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले में पहले ही दिया जा चुका है)|

(29) रजिस्ट्री को अब इन मामलों को प्रस्ताव पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण :स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

कहखोदा (सोनीपत) हरियाणा